<u>**अपराधिक प्रकरण कमांक 490/2023**</u>

<u>न्यायालय :– रवि वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जावद, जिला नीमच म.प्र.</u>

प्रकरण कमांक 490/2023
फाईलिंग नम्बर–RCT/ 1534/2023
सी.एन.आर. MP44050018892023
संस्थित दिनांक 28.11.2023

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र जावद,
जिला नीचम (म.प्र.)

––––अभियोजन।

// वि रू द्ध //

श्यामलाल पिता भगवतीलाल
उम्र– 32 वर्ष, निवासी– घसुण्डी
थाना जावद, जिला– नीमच (म.प्र.)

––––अभियुक्त।

आरक्षी केन्द्र जावद जिला नीमच के अपराध कमांक 483/2023, अपराध अंतर्गत धारा 34 म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 से उद्भूत प्रकरण।

// निर्णय//
(आज दिनांक **28.11.2023** को घोषित किया गया।)

01. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त श्यामलाल के विरूद्ध धारा 34 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 19.10.2023 को समय 16:00 बजे करीबन जावद थाना क्षेत्र निम्बाहेडा नीमच हाईवे फोरलेन, आरटीओ

मात्र सामान्य जानकारी हेतु / शासकीय / विधिक उपयोग हेतु मान्य नहीं।

बैरियर के पास नयागांव जावद पर अपने आधिपत्य में प्लास्टिक की केन में 05 लीटर हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची शराब बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखे पाये गये।

02. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियुक्त के द्वारा आरोप एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की सत्यता को स्वीकार किया गया है।

03. अभियोजन का पक्ष संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 19.10.2023 को चौकी नयागांव थाना जावद के शिवलाल कलमी को चैकिंग के दौरान एक व्यक्ति प्लास्टिक की केन लेकर जाते दिखाई दिया, जिसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम श्यामलाल पिता भगवतीलाल उम्र– 32 वर्ष, निवासी– घसुण्डी का होना बताया उसके कब्जे से प्लास्टिक की केन में 05 लीटर हाथ भटटी की शराब के लायसेंस पूछने पर नही होना बताया एवं शराब जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित रहने हेतु धारा 41 (क) द.प्र.सं. का तामील किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन लिये गये अन्य आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04. अभियोग पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत न्यायालय द्वारा अभियुक्त श्यामलाल के विरूद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की विशिष्टयां तैयार कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध किया जाना स्वेच्छा स्वीकार किया

गया।

05. अभियुक्त की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि उसने अपने अधिपत्य में हाथ भट्टी की कच्ची शराब रखी। अभियुक्त द्वारा उक्त अपराध कारित किया जाना बिना भय दबाव के स्वेच्छया स्वीकार किया गया है। अतः उसकी स्वीकारोक्ति को स्वेच्छया पाते हुये अभियुक्त को धारा 34(1) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अपराध में **दोषसिद्ध** ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों तथा कारित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।

//अंतिम आदेश//

06. अपराध की गंभीरता, प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त श्यामलाल को धारा 34(1) म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/—रूपये (पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है एवं अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने की दशा में अभियुक्त को 10 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

07. अभियुक्त का धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र तैयार कर एक प्रति प्रकरण में संलग्न की जावे।

08. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति प्लास्टिक की केन जिसमें **05 लीटर** कच्ची हाथ भट्टी की शराब मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे।

09. निर्णय की प्रति अभियुक्त को निशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित व मुद्राकिंत कर घोषित किया गया।

(रवि वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जावद,जिला नीमच (म.प्र.)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(रवि वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जावद,जिला नीमच (म.प्र.)

मात्र सामान्य जानकारी हेतु। शासकीय/विधिक उपयोग हेतु मान्य नहीं।